न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 77/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. ताजाराम पुत्र बींजाराम 2. लाखाराम पुत्र बीजाराम 3. हेमाराम पुत्र बीजाराम 4. उदाराम पुत्र बीजाराम जाति जाट निवासी सिणधरी उर्फ बेड तहसील सिणधरी		1. ग्राम पंचायत सिणधरी बजरिये सरपंच 2. वन विभाग कार्यालय सिणधरी जरिये प्रभारी अधिकारी रेंजर कार्यालय बेड़ प्रथम 3. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री रामजीवन विशनोई प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] — 27.12.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदा[illegible] खेत मौजा सिणधरी उर्फ बेड पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जि[illegible] सख्या 10 में से प्रार्थीगण के नाम आवाप्त होकर खसरा नम्बर 10/1 रकबा 4.8540 हैक्टर प्रार्थी सख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 10/2 रकबा 4.8136 हैक्टर प्रार्थी सख्य 2 के नाम, खसरा सख्या 10/3 रकबा 4.8540

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

हैक्टर प्रार्थी सख्या 3 के नाम तथा खसरा सख्या 10/4 रकबा 4.8136 हैक्टर प्रार्थी सख्या 4 के नाम आवाप्त होने से बाद आवाप्त प्रार्थीगण के अपने अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त निरबाद रूप से चला आ रहा है। लेकिन हाल ही मे सिणधरी तहसील के रेकर्ड एव नक्शा आनलाईन किये गये उक्त नक्शा मे प्रार्थीगण के चारो खसरो की तरमीम वास्तविक एव आफलाईन नक्शा से भिन्न कर दी गई जिसमे प्रार्थीगण के पाडोसी खसरा 10 जो वर्तमान मे गाम पचायत सिणधरी उर्फ बेड के नाम उनकी व खसरा नम्बर 11 विप्रार्थी सख्या 3 की तरमीम भी प्रार्थीगण के आराजी के अन्दर तक कर दी गई व प्रार्थीगण के खसरो के बिच की, लाईन त्रिभूजाकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी मे की गई जिससे प्रार्थीगण पत्येक खसरा तरमीम प्रभावित करते हुए ही गलत कर दी गई है। कि उक्त गलत प्रविष्टियो से प्रभावित होकर वन विभाग व ग्गाम पचायत सिणधरी बेड द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे हस्तक्षेप कर आवेदन ग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकीया दी गई जिससे उक्त शुद्धीकरण किया जाना आवश्यक व न्यायसगत है। उक्त तरमीम शुद्धीकरण से तुलनात्मक द्धष्टि से विप्रार्थीगण को कोई नुकशान नही हो रहा है जबकि प्रार्थीगण को तरमीम सही नही करने पर अनेक कठिनाईयो का सामना करना पडेगां। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा सिणधरी उर्फ बेड पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत मूल खसरा सख्या 10 में से प्रार्थीगण के नाम आवाप्त होकर खसरा नम्बर 10/1 रकबा 4.8540 हैक्टर प्रार्थी सख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 10/2 रकबा 4.8136 हैक्टर प्रार्थी सख्य 2 के नाम, खसरा सख्या 10/3 रकबा 4.8540 हैक्टर प्रार्थी सख्या 3 के नाम तथा खसरा सख्या 10/4 रकबा 4.8136 हैक्टर प्रार्थी सख्या 4 के नाम आवाप्त होने से बाद आवाप्त प्रार्थीगण के अपने अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त निरबाद रूप से चला आ रहा है। लेकिन हाल ही मे सिणधरी तहसील के रेकर्ड एव नक्शा आनलाईन किये गये उक्त नक्शा मे प्रार्थीगण के चारो खसरो की तरमीम वास्तविक एव आफलाईन नक्शा से भिन्न कर दी गई जिसमे प्रार्थीगण के पाडोसी खसरा 10 जो वर्तमान मे गाम पचायत सिणधरी उर्फ बेड के नाम उनकी व खसरा नम्बर 11 विप्रार्थी सख्या 3 की तरमीम भी प्रार्थीगण के आराजी के अन्दर तक कर दी गई व प्रार्थीगण के खसरो के बिच की लाईन त्रिभूजाकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी मे की गई जिससे प्रार्थीगण पत्येक खसरा तरमीम प्रभावित करते हुए ही गलत कर दी गई है। अपनी बहस जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा सिणधरी उर्फ बेड पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे खेत मूल खसरा सख्या 10 में से प्रार्थीगण के नाम आवाप्त होकर खसरा नम्बर 10/1 रकबा 4.8540 हैक्टर प्रार्थी सख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 10/2 रकबा 4.8136 हैक्टर प्रार्थी सख्य 2 के नाम, खसरा सख्या 10/3 रकबा 4.8540 हैक्टर प्रार्थी सख्या 3 के नाम तथा खसरा सख्या 10/4 रकबा 4.8136 हैक्टर प्रार्थी सख्या 4 के नाम आवाप्त होने से बाद आवाप्त प्रार्थीगण के अपने अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त निरबाद रूप से चला आ रहा है। लेकिन हाल ही मे सिणधरी तहसील के रेकर्ड एव नक्शा आनलाईन किये गये उक्त नक्शा मे प्रार्थीगण के चारो खसरो की तरमीम वास्तविक एव आफलाईन नक्शा से भिन्न कर दी गई जिसमे प्रार्थीगण के पाडोसी खसरा 10 जो वर्तमान मे गाम पचायत सिणधरी उर्फ बेड के नाम उनकी व खसरा नम्बर 11 विप्रार्थी सख्या 3 की तरमीम भी प्रार्थीगण के आराजी के अन्दर तक कर दी गई व प्रार्थीगण के खसरो के बिच की लाईन त्रिभूजाकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी मे की गई जिससे प्रार्थीगण प्रत्येक खसरा तरमीम प्रभावित करते हुए ही गलत कर दी गई है। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में की तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत सड़क मार्ग की तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में सड़क मार्ग की तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सड़क मार्ग की रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी उर्फ [illegible] क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर मे अवस्थित खेत खसरा सख्या 11 तथा [illegible] खसरा नम्बर 10 से विभक्त होकर कायम हुए नवीन खसरा नम्बरान की विदयमान तरमीम [illegible] की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 के [illegible] नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.12.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:55 IST
Reason: SelfAttested